(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 61/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला, पता माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेस के पीछे, नई सड़क जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.03.2018 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक प. 12(3–23)राज/आबं/63/95/1175 दिनांक 11.03.2004 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा बूझावड़ के खसरा नं. 38 में से मुस्लिम शिक्षण संस्थान को आवंटित 140 बीघा भूमि आवंटन स्वीकृति निरस्त करने का लिखते हुए पत्रांक 1174 दिनांक 11.03.04 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि नामान्तरकरण की कोई कार्यवाही नहीं की जावे, पर आपके कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner